	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 20, सोमवार, शाके 1947- अगस्त 11, 2025 *Sravana 20, Monday, Saka 1947- August 11, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 08, 2025

जी.एस.आर.53 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान वन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-III का संशोधन.- राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 से संलग्न अनुसूची-III में, विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और 2, उनके शीर्ष और उनकी प्रविष्टियों सहित, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

"

चयन वेतनमान						
1.	अधीक्षण अभियन्ता	100% पदोन्नति द्वारा	-	अधिशासी अभियन्ता/ मृदा संरक्षण अधिकारी (कृषि)/ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री या इसके समतुल्य अर्हता होना आवश्यक है, साथ ही स्तम्भ 5 में उल्लिखित पदों में से किसी पर	-

					5 वर्ष का अनुभव।	
वरिष्ठ वेतनमान						
1क.	अधिशासी अभियन्ता/मृदा संरक्षण अधिकारी (कृषि)/ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक अभियन्ता/ सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी/ अनुसंधान) (कनिष्ठ वेतनमान)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री धारक या इसके समतुल्य अर्हता धारक के लिए स्तम्भ 5 में उल्लिखित पदों में से किसी पर 5 वर्ष का अनुभव; या डिप्लोमा धारकों के लिए स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 15 वर्ष का अनुभव।	-
कनिष्ठ वेतनमान						
2.	सहायक अभियन्ता/ सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी/ अनुसंधान)	50% सीधी भर्ती द्वारा; 50% पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समतुल्य अर्हता।	मृदा संरक्षण सहायक (अभियांत्रिकी/ कृषि) (कनिष्ठ अभियन्ता)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री धारक या इसके समतुल्य अर्हता धारक के लिए स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में	

					डिप्लोमा धारक के लिए स्तम्भ 5 में उल्लिखित पदों पर 8 वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल सर्वेक्षण में आईटीआई प्रमाण-पत्र धारक के लिए स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 11 वर्ष का अनुभव।	

"

[सं. एफ. 1(2) डीओपी/ए-II/85]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 08, 2025

G.S.R.53 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Forest Service Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Forest Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-III.- In the Schedule-III appended to the Rajasthan Forest Service Rules, 1962 , for the existing serial number 1 and 2, along with their head, and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"

SELECTION SCALE						
1.	Superintending Engineer	100% by promotion	--	Executive Engineer / Soil Conservation Officer (Agriculture) / Senior Research Officer. (Senior	Must hold a degree in Agricultural Engineering or its equivalent qualification from a	-

				Scale)	University established by law in India with 5 years' experience on any of the posts mentioned in column 5	
SENIOR SCALE						
1A.	Executive Engineer / Soil Conservation Officer (Agriculture) /Senior Research Officer	100% by promotion.	-	Assistant Engineer / Assistant Soil Conservation Officer (Engineering / Research) (Junior Scale)	5 years' experience on any of the posts mentioned in column 5 for Degree holder in Agricultural Engineering or its equivalent qualification from a University established by law in India; or 15 years' experience on the post mentioned in column 5 for Diploma holders.	-
JUNIOR SCALE						
2.	Assistant Engineer / Assistant Soil Conservation Officer (Engineering / Research)	50% by direct recruitment; 50% by promotion	Degree in Agriculture Engineering from a University established by law in India or its equivalent qualification recognized by the	**Soil Conservation Assistant** (Engineering / Agriculture) (Junior Engineer)	5 years' experience on the post mentioned in column 5 for Degree holder in Agricultural Engineering or its equivalent	

			Government.		qualification from a University established by law in India ; or 08 years' experience on the posts mentioned in column 5 for Diploma holder in Civil Engineering from a recognized institution; or 11 years' experience on the post mentioned in column 5 for ITI Certificate holder in Civil Survey from a recognized institution.	

"

[No. F 1 (2) DOP/A-II/ 85]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.